अध्याय -1

प्रस्तावना

अध्याय 1

"पंचायती राज" शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र भारत में श्री बलवंत राय गोपाल जी मेहता के 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' प्रतिवेदन से उदय हुआ हैं। पंचायत का अर्थ पाँच सदस्यों की एक ऐसी संस्था से है जो गाँव के लोगो द्वारा निर्वाचित होते हैं। सीधे शब्दो मे पंचायत लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है जिसमें प्रशासनिक एवं सत्ता के अधिकारों का केंद्र से गाँवो को हस्तांतरित किया गया हैं (गौतम, 2009)। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था संस्कृति की धरोहर के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। स्थानीय लोगों के समूह जिसमें पाँच व्यक्तियों द्वारा गाँव के समस्याओं का मतभेदों का फैसला करना, प्राचीन पंचायत का मूल कार्य होता था तथा इन व्यक्तियों कों पंच परमेश्वर का स्थान दिया गया था। इस प्रकार से हम देखें तो गाँव के फैसले गाँव में ही स्थानीय लोगों द्वारा किया जाते थे इसमें बाहरी व्यक्तियों के समूह का हस्तक्षेप नही होता था। वास्तव में यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक व्यवहारिक प्रयोग था (जैन, 2007)।

प्रत्येक समाज में राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व भिन्न भिन्न स्वरूप में रहा है। आदिवासी समुदाय यद्यपि विकास के मुख्य धारा से पृथक रहा है लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्था, संरचना, संस्था तथा संस्कृति महत्वपूर्ण है तथा वे अपने सामाजिक समस्याओं का निपटारा अपने ही नियम कानून के द्वारा करते है। उसमें महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। उनकी राजनीतिक व्यवस्था, संरचना, संस्था तथा संस्कृति आदि अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है –

आदिवासी समुदाय भारत के ही नही विश्व के भी प्राचीन समुदाय जाने जाते है। मानवीय सभ्यता के आदिकाल में राजनीतिक व्यवस्थाओं और संरचनाओं का स्वरूप जानना और समझना, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास क्रम को समझने और निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। दीर्घकाल तक भारतीय आदिवासी समुदाय मुख्य धारा से पूर्णतः पृथक रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था की समानतावादी भावनाओं के अनुरूप उन्हे समान राजनीतिक अधिकार प्रदान कर राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया और उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया ताकि वे पूर्णतः राजनीतिक पर्यावरण को आत्मसात कर सके रचनात्मक रूप से सहभागी हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी परंपरागत राजनीति, सांस्कृतिक व्यवस्था, संस्थाओं और संरचनाओं का स्वरूपीकरण व क्रियान्वयन किया जाए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यद्यपि आदिवासियों को भारतीय संविधान द्वारा मात्र राजनीतिक समानता ही नही प्रदान कि गई अपितु आवश्यकतानुसार उन्हे विशेष राजनीतिक संरक्षण एवं आरक्षण भी दिए गए।

भारत देश में महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का (49.9%) प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में राजनीति में उनकी भागीदारी नगण्य हैं। कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक कारकों के कारण सक्रिय राजनीति में महिलाओं की पकड़ बहुत कम हैं। यह सच है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीति एक चिंता का विषय हैं। एक लोकतांत्रिक देश कि आधी आबादी रसोई घर मे है तो उस देश कि ऊर्जा कैसे प्रगति कर सकता हैं। बाद मे भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 15 में लिंग संबंधी समानता हो जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव न हो, इन अधिकारों को स्वचालित रूप से प्रकल्पित किया जाए तो महिलाओं का

राजनीति के क्षेत्र में विकास होगा। महिलाओं की बराबर भागीदारी के बिना विकास के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नही किया जा सकता हैं। महिलाओं के पूर्ण और सक्रिय भागीदारी से न केवल विकास की प्रक्रिया को आगे लेकर जायेंगे तथा जीवन के विभिन्न स्तरों तथा क्षेत्रो में निर्णय लेने तथा अपने लक्ष्यों को एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे (Gochhayat, 2013)।

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को महिलाओं पर विश्वास था कि समाज के पुनर्निर्माण मे और मान्यताओं को बनाने में सकारात्मक भूमिका होगी। उनके द्वारा समनता और सामाजिक न्याय लाने में एक अनिवार्य कदम था। आजादी के समय बड़े पैमाने पर महिलाओं को आंदोलन के लिए जोड़ा गया जिसके कारण कुलीन वर्ग के पुरुष और महिलाओं के सामाजिक और राजनैतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा हैं। आजादी के बाद श्रीमति सरोजनी नायडू, हेमा मेहता, रेणुका राय, दुर्गाबाई देशमुख आदि महिलाओं को संविधान निर्माण में भाग लिया था। हमारे संविधान में व्यक्ति की समानता, महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार और गैर भेदभाव रोजगार तथा राज्यों के अधीन कार्यालय में काम की गारंटी हैं। महिलाओं के विकास और प्रगति के लिए हमारे संविधान में कई अधिकारों का प्रावधान हैं। इन संवैधानिक अधिकारों का अर्थ होता हैं भारत के महिलाओं को सशक्त करना। बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्था महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहा गया हैं कि व्यवहार में सामाजिक उद्देश्यों और उपलब्धियों के बीच, कानूनी ढांचे और चमत्कारिक वास्तविकता के बीच काफी व्यापक अंतर पाया गया और इस संवैधानिक सुरक्षा और कानूनी चौखटों के उपायों के बाद अभी भी महिलाओं कि भागीदारी कम हैं।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के एक मजबूत पंचायती राज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य कि सबसे प्रथम इकाई पंचायते होगी। उनकी कल्पना पंचायतों कि शासन व्यवस्था की धुरी होने के साथ ही आत्म निर्भर, पूर्णतया स्वायत्त और स्वालम्बी होने कि थी। इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए समय समय पर प्रयास किए गए। कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतन्त्र का मूल आधार बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा हैं। लेकिन पूरे देश में प्रशासन विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायती राज कि स्थापना और जनता के हाथ मे सीधे अधिकार देने कि शुरुवात संविधान के 73वें संविधान संशोधन (1993) अधिनियम के माध्यम से संभव हुई।

महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य हैं। वर्तमान पंचायती राज में सामाजिक समता को नया रूप देने का एक समूहिक प्रयास हैं। इसी क्रम में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों का प्रमुख घटक हैं। इस दिशा में 1957 से ही इसके लिए प्रयास आंरभ हो गए थे। बलवंत राय मेहता समिति ने महिलाओं तथा बच्चों से संबन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखने के लिए जिला परिषद में दो महिलाओं को लाने कि अनुशंसा कि थी। "भारत में महिलाओं का स्थान" विषय में गठित समिति ने 1974 में अनुसंशा की थी कि ऐसी पंचायते बनाई जाए जिसमें केवल महिलाएं हो। अशोक मेहता समिति ने 1978 में अनुशंसा की कि दो महिलाओं को, जिन्हे सर्वाधिक मत मिले, जिला परिषद का सदस्य बनाया जाए। "नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फार द वुमेन" 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की

प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। हिमांचल प्रदेश के अधिनियम में भी वैसी ही व्यवस्था थी। मध्यप्रदेश के 1990 के अधिनियम में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 10.10 प्रतिशत कि, महाराष्ट्र पंचायत अधिनियम में 30 प्रतिशत और उड़ीसा अधिनियम में कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान संविधान में 73वें संशोधन से पहले रहा हैं (जैन, 2007)।

सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के ढांचे मे सुधार लाने हेतु अनेक समितियों का गठन किया है। इस समितियों ने इस प्रणाली में सुधारार्थ हेतु विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिये है –

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए , जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद हो। इन पंचयतों में महिलाओं के 2 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 1-1 सदस्यों को प्रतिनिधितत्व का प्रावधान हो। पंचायतों को अपने क्षेत्र के भीतर होने वाले समस्त विकास कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण किया जाना चाहिए। सरकार का कार्य नियोजन, निरीक्षण एवं निर्देशन तक सीमित होना चाहिए। जल आपूर्ति, सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़को का रखरखाव तथा भूमि प्रबंध ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

अशोक मेहता समिति (1977) ने अपने सिफारिशें में कहा कि पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय होना चाहिए। पहला जिला स्तर तथा दूसरा मण्डल स्तर पर। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए । 64वें संवैधानिक

संशोधन कि मुख्य बाते जिसमें पंचायती राज संस्थानो का ढांचा त्रिस्तरीय होगा परंतु छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वें द्विस्तरीय ढांचा भी अपना सकते है। पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण के अतिरिक्त होगा। पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास योजनाओं के निर्माण करने का अधिकार होगा। ये योजनाएँ राज्य द्वारा निर्मित योजनाओं के अनुक्रम में होगी। इस प्रकार 29 विषयों को संविधान के 11वें अनुच्छेद के रूप में सम्मिलित किया गया है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हे वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हे स्वायत्तशासी सरकार कि इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। ऊपर किए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संविधान मे पंचायत से संबन्धित एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य अन्य चीजों के अलावा एक गाँव में अथवा गाँवों के समुह को अनुदान प्रदान करना, गाँव के स्तर पर अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गाँव और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों कि सभी सीटो के लिए सीधे चुनाव कराना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच है तो उनका चुनाव कराना, पंचायतों के सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण, पंचायतों के पाँच साल कि कार्य अवधि तय

करना और कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था करना।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के सदस्यों और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण के प्रावधान किया जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में संतुलन आए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खंड –(9) और उसके अंतर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 243 (द) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ऐसा आरक्षण करना हैं जिससे इन्ही वर्गो कि महिलाओं हेतु ऐसे स्थानों के एक तिहाई स्थान आरक्षित रहे। अनुच्छेद 243 (द) (3) के अंतर्गत महिलाओं कि सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) के अंतर्गत उनके पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान हैं।

महिलाओं को प्रदत आरक्षण कि व्यवस्था से समाज के विभिन्न वर्गो कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में स्थान प्राप्त हुआ हैं। महिलाओं कि सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका स्वतन्त्रता के पश्चात से नगण्य रहने के कारण इन्हे पिछड़े वर्गो मे रखकर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।

ग्राम पंचायते भारतीय पंचायती राज संस्थाओं की मूलभूत इकाई हैं। ग्राम पंचायते ही ऐसी व्यवस्था है जो संघ या राज्य प्रशासन की समस्त गतिविधियों को ग्रामों से जोड़ती है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर उनकी महत्ता को परिवर्द्धित किया गया हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में सभी तथ्य

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार है। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। पंचायत की अवधि पाँच वर्ष होती है। पंचायतों के सदस्यों को पंच कहा जाता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाता है जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना जाता है।

पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत की संरचना, जिसमे एक सरपंच तथा प्रत्येक वार्डो में उपधारा (2) के अंतर्गत एक पंच प्रत्येक्ष निर्वाचित होंगे। वार्डों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर होगा। तीन हजार जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में नौ वार्ड होंगे और किसी ऐसी पंचायत सर्किल के मामले में जिनकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है उसके एक भाग के लिए नौ की उक्त संस्था में दो की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस तरह इस अधिनियम में सभी वार्ड में पंचो की व्यवस्था की गई है। सरपंच और पंच पद की योग्यता के लिए उम्मीदवार को किसी केंद्रीय या राज्य सेवा में लाभप्रद पद पर आसीन ना हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, दुराचरण वस सरकारी सेवा से निलंबित ना हो, अस्पृश्यता अधिनियम 1995 के तहत अपराधी घोषित ना किया गया हो, पंचायत में कोई कर बकाया ना हो।

पंचायती राज संस्थान 1994 के तहत ग्राम पंचायतों को विस्तृत पैमाने पर कार्य एवं शक्तियाँ सौपी गई है। इस अधिनियम में पंचायत के कार्यों की प्रकृति ऐच्छिक है पंचायत के निम्न कार्य है- सफाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी, आत्मरक्षा एवं पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी, प्रशासनिक कार्य, जनकल्याण क्षेत्र से संबंधी और कृषि संबंधी कार्य इत्यादि। इसी प्रकार सरपंच और

उपसरपंच को पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नाकित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए है- ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना तथा उसकी अध्यक्षता करना, कर्मचारियों पर प्रशानिक नियंत्रण, ग्रामीण विकास और पंचायत के धन का उपयोग इत्यादि। ग्राम पंचायत में सरपंच के बाद दूसरा मुख्य उपसरपंच होता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ही समस्त दायित्यों का निर्वाहन करता है।

मानववैज्ञानिको ने 'स्थिति' को मान, प्रतिष्ठा और इज्जत के अर्थ में प्रयोग किया हैं जो उचित मालूम पड़ता हैं। प्रसिद्ध मानवशास्त्री लोवी के अनुसार स्थिति शब्द को चार अर्थ में देख सकते हैं - महिलाओं के प्रति पुरुषों का वास्तविक व्यवहार, विभिन्न सामाजिक कार्यो में सम्मिलित होने और भाग लेने का उन्हे समाज ने कितना अधिकार दिया हैं, वैधानिक स्थान, कार्य प्रणाली का क्या रूप हैं।

लोवी के अनुसार इन बातों को उचित रूप से समझ लेने के बाद ही हम किसी समाज के महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं (अहमद, 2008)।

आज यह सर्वत्र स्वीकार किया जा रहा हैं कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिणिक एवं राजनैतिक आदि में महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिल पाया हैं। जिसके फलस्वरूप महिलाओं कि स्थिति पुरुषों के तुलना निम्न हैं (गुप्ता,2012)। समाज में महिलाओं कि स्थिति तथा भूमिका का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता हैं कि किसी भी विशिष्ट सामाजिक सरंचना में उसे कितना स्वतन्त्रता प्राप्त हैं।

भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के रीति- रिवाज, प्रथा-परंपरा तथा मान्यता होता हैं जिसके कारण महिलाओं का राजनीति में भागीदारी कम होता हैं क्योकि महिलाओं के लिए ऐसे नियम और परंपरा समाज के द्वारा बनाया गया था जिसमें महिलाओं को पुरुषों के आधीन रहना पड़ता हैं। ग्रामीण समाजो में शिक्षा कि स्थिति निम्न होने कारण जो महिलाएं पंचायत में निर्वाचित होकर आती हैं उन्हे सविधान द्वारा जो अधिकार मिले हैं उसे पूरे तरीके से समझ नही पाती हैं और उसे पुरुषों का साहरा लेना पड़ता हैं। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपने निर्णय लेने में कठनाइयों का सामना करना पड़ता हैं क्योकि पुरुष अपना फैसला महिलाओं पर थोपते हैं(नांदल,2013)। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम और ग्राम पंचायत के कामकाज के संबंध में जागरूकता तथा ज्ञान बहुत कम है। महिलाओं का पंचायती राज संस्थान में कम भागीदारी का कारण पुरुष प्रधान समाज, अशिक्षा, सामाजिक रीति-रिवाज को बताया हैं। (गुप्ता, 2012)

साहित्य पुनरावलोकन-

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था पर कई अध्ययन किए गए हैं यहाँ ऐसे संदर्भित अध्ययनों कि समीक्षा कि गई है जो इस अध्ययन कि दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगित है। इस समीक्षा में तीन विषयों से संबंध अध्ययन लिए गए है जो कि पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण एवं महिला नेतृत्व से संबन्धित है –

प्रेमलता पुजारी एवं विजय कुमार कौशिक (1994) ने 'भारत में महिलाओं की शक्ति' विषय पर तीन जिलो के विकास से संबन्धित विविध विषयों पर लिखे गए निबंध, शोध

प्रबंध के संकलन पर आधारित है। प्रथम भाग में लोकतन्त्र के संदर्भ में भारतीय महिलाओं की स्थिति से संबन्धित विषय समाहित किए गए है, द्वितीय भाग में महिलाओं के विकास हेतु संस्थागत व्यवस्था के विषय सम्मिलित किए है, तृतीय भाग में महिलाओं के विकास हेतु कार्य एवं अधोसंरचना जैसे महत्वपूर्ण विषय है। यश संपादित कार्य महिलाओं की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रभा आप्टे (1996) ने 'भारतीय समाज में नारी' विषय पर पुस्तक लिखी है यह पुस्तक ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समाज तक नारी के स्थिति को स्पष्ट करती है। इसमें बदलते सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की समस्याओं एवं शोषण के विरुद्ध महिला संगठनों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।

पी॰ सी॰ शशि कौर एवं सुधा भटनागर (1997) ने अनुसूचित जाति कि महिलाओं पर एक सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया है। महिलाएं समाज के पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधितत्व करती है तथा अनुसूचित जाति की महिलाएं पिछड़ो में भी पिछड़ी हैं। इस अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन के तरीको एवं प्रक्रियाओं को तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के स्तर को एक व्यक्ति एक परिवार की सदस्यता एवं समाज की सदस्यता के संदर्भ विश्लेषित किया है।

वन्दना,(1998) ने अपने शोध पत्र में उल्लेखित किया हैं कि समानता एवं समाजिक न्याय के आदर्शो कि मूलभावना यह हैं कि महिलाओं को योग्य बनाया जाए, वे समाज में अपने अधिकारों को प्राप्त करे, राजनैतिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता का देश का नेतृत्व करे। यह तभी सम्भव होगा जब महिलाओं को शिक्षित बनाया जाएगा। महिलाओं के

शिक्षित होने पर उनकी नेतृत्व के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ग्राम स्तर से केंद्र तक राजनीति में भाग ले सकेगी।

नागर एवं पुनिया,(2000) ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा पंचायती राज संस्थानो में भागीदारी का अध्ययन हिसार (हरियाणा) में किया। इस अध्ययन में 21 ग्राम लिए गए है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है की पंचायतों के कार्यों में पानी उपलब्ध करने को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की गई है। समस्त निर्वाचित महिलाएं इस कार्य में प्रयासरत हैं। शाला, अस्पताल एवं स्कूल आदि बनवाने के कार्यों को द्वितीय प्राथमिकता प्रदान की थी। इन महिलाओं ने सड़क ठीक कराने, पंचायत भवन आदि बनवाने के कार्य को तृतीयक प्राथमिकता प्रदान की है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है की पंचायत मे निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी सम्पूर्ण ग्रामीण समाज के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पन्न करा रही है।

सिह,(2002) ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक ,राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन किया है। आपने इस अध्ययन से स्पष्ट किया है की स्वतन्त्रता के बाद भारत में महिलाओं की आर्थिक ,राजनैतिक सहभागिता के नवीन आयामो का विस्तार हुआ है। एक ओर संविधान में समानता का अधिकार प्राप्त करके लैंगिक आधार पर की जाने वाली असमानता को सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर दिया है तो दूसरी ओर महिलाओं के शैक्षणिक आर्थिक राजनैतिक विकास के लिये अनेक विशेष कार्यक्रम अपनाए गए है। इस कार्यक्रमों को आर्थिक शक्ति नवीन परिवेश स्वतन्त्रता के पश्चात उपलब्ध हुआ है। यह निश्चय ही

पंचायती राज व्यवस्था का महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में सकारात्मक योगदान है।

सिन्हा,(2002) ने बिहार के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन किया हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलने से महिलाओं का प्रतिनिधितत्व बढ़ा हैं। वह अपनी नवीन राजनैतिक भूमिका को ठीक प्रकार से निर्वहन करने का प्रयास कर रही हैं। पंचायती राज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं कि पंचायत समिति मुख्यालय पर सभी जनप्रतिनिधियों, सरपंचो, वार्ड सदस्यों, और पंचायत समिति के सदस्यों कि बैठक समय- समय पर कराया जाए। लोकसेंवकों और जनप्रतिनिधियों में परस्पर संवाद बढ्ने से विश्वास जाग्रत होगा, जिससे पंचायतों के कार्यों में मजबूती, पारदर्शिता, तालमेल तथा भागीदारी बढ़ने से पंचायतों कि प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।

जोसेफ,(2003) ने संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण किया हैं। अध्ययन से स्पष्ट हैं कि इस वैधानिक परिणाम के स्वरूप महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता बढ़ी हैं, उनका पंचायतों में प्रतिनिधित्व बढ़ी हैं और वें अपने अधिकारो के लिए संगठित होकर आवाज उठाने लगी हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन कर अपने को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। पंचायतों में निर्वाचित महिलाएं अपनी अपेक्षित भूमिका को अभी ठीक प्रकार से निर्वाह अभी नही कर पा रही हैं, उन्हे अपने भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए अपने पति या परिवार के सदस्यों पर निर्भर होना पड़ रहा हैं।

गवानकर,(2003) ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनी गई अनुसूचित जाति के महिलाओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि अनुसूचित जाति की चुनी गई महिलाएं पंचायतों के कार्य प्रणाली में सक्रिय रूप से सहभागिता करती हैं और वें अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास के लिए सतत रूप से कार्य करती हैं। महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए अनेक कारक जैसे- शिक्षा, पारिवारिक पृष्टभूमि, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, परिवार की राजनैतिक सक्रियता, स्थानीय दशाये आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकास नांदल,(2013) ने अपने अध्ययन "पंचायती राज मे महिलाओं की भागीदारी" मे महिलाओं के जागरूकता और पंचायती राज संस्थाओं में सवैधानिक ज्ञान को पता लगाने के लिए किया गया अध्ययन है। अध्ययन के लिय अनवली गाँव सोनीपत जिला हरियाणा से 50 महिला उत्तरदातावों पर आयोजित किया गया हैं। अध्ययन दिखाता है कि पंचायती चुनाव के मामले मे महिलाओं कि भागीदारी चिन्हित से कम है। 73वें संशोधन पंचायती राज अधिनियम और ग्राम पंचायत के कामकाज के संबंध में जागरूकता तथा ज्ञान बहुत कम है ग्राम पंचायत के सूत्रो का विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं मे कम भागीदारी का कारण सामाजिक मूल्य, पुरुष प्रमुख समाज अशिक्षा, गरीबी और पारिवारिक समस्या आदि हैं।

सत्यम कुमार के अनुसार (2013) आदिवासी तथा विशेष रूप से महिलाएं कई कमजोरियों के मामले मे आगे हैं। महिलाओं मे अधिकतर शिक्षा का अभाव, मजबूत परंपरा, विभिन्न प्रकार के विश्वास, पितृसत्तात्मक समाज, नौकरशाही वर्चस्व, ठेकेदारो की व्यपक्ता और

कुछ परंपरागत कुलीन वर्ग आदि के कारण महिलाएँ कई चुनौतियों का सामना कर रहें हैं। इस सभी बातो को ध्यान मे रखते हुये महिलाओं की समाज तथा राजनीति मे क्या भूमिका है इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। पिछड़े तथा ग्रामीण इलाको में महिलाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं। सामाजिक आर्थिक बाधा जिसमें पर्याप्त वित्तीय साधन का अभाव, शिक्षा सीमित, घरेलू कार्यों के दोहरे बोझ और दयितत्व। इसके अलावा महिलाओं में कम आत्मसम्मान तथा उनमें कम आत्मनिर्भरता उन पर मनोवैज्ञानिक द्वाब डालता है। इससे ऊपर उठकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए जमीनी स्तर पर सोचने की आवश्यकता है कि महिलाओं को किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर उसके विचारों को मनोवैज्ञानिक रूप से ऊपर उठाया जा सके।

सत्यम कुमार के अनुसार (2013) आदिवासी तथा विशेष रूप से महिलाएं कई कमजोरियों के मामले मे आगे हैं। महिलाओं मे अधिकतर शिक्षा का अभाव, मजबूत परंपरा, विभिन्न प्रकार के विश्वास, पितृसत्तात्मक समाज, नौकरशाही वर्चस्व, ठेकेदारो की व्यपक्ता और कुछ परंपरागत कुलीन वर्ग आदि के कारण महिलाएँ कई चुनौतियों का सामना कर रहें हैं। इस सभी बातो को ध्यान मे रखते हुये महिलाओं की समाज तथा राजनीति मे क्या भूमिका है इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। पिछड़े तथा ग्रामीण इलाको में महिलाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं। सामाजिक आर्थिक बाधा जिसमें पर्याप्त वित्तीय साधन का अभाव, शिक्षा सीमित, घरेलू कार्यों के दोहरे बोझ और दयितत्व। इसके अलावा महिलाओं में कम आत्मसम्मान तथा उनमें कम आत्मनिर्भरता उन पर मनोवैज्ञानिक द्वाब डालता है। इससे ऊपर उठकर महिलाओं को

सशक्त करने के लिए जमीनी स्तर पर सोचने की आवश्यकता है कि महिलाओं को किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर उसके विचारों को मनोवैज्ञानिक रूप से ऊपर उठाया जा सके।

पहाड़ी कोरवा महिलाओं में पंचायती राज से संबन्धित किसी भी प्रकार से अध्ययन नही हुआ अतः इस संदर्भ में साहित्य पुनरावलोकन नही दिया गया है।

विषय का चुनाव -

भारत के 73वें सविधान संशोधन तथा विभिन्न सवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण तथा विभिन्न प्रकार के अधिकार दिया गया हैं जिससे महिलाओं के समाजिक स्थिति में सकारात्मक वृद्धि हुई हैं तथा महिलाएं राजनीति में बढ़चढ़ कर आगे आ रहीं हैं। देश में एक ओर महिलाएं राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, सांसद, राज्य के मुख्यमंत्री, विधेयक तथा महापौर आदि बन रही है जो किसी भी देश के लिए गर्व की बात है वही दूसरी ओर भारत के अनुसूचित जनजाति विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजाति जो दुर्लभ क्षेत्र में निवास करते हैं। अध्ययन में चयनित विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा भी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दुर्लभ क्षेत्र में निवास करती हैं जिन्हे उसी प्रकार के अधिकार तथा आरक्षण मिला हैं, जो देश के बाकी महिलाओं को मिला हैं तो पहाड़ी कोरवा महिलाओं की समाजिक तथा राजनीतिक स्थिति विशेष कर पंचायती राज के संदर्भ में किस प्रकार होगा यह मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई इसलिए इस विषय तथा इस जनजाति का चुनाव किया गया।

अध्ययन का महत्व –

अनुसंधान चाहे जिस क्षेत्र में भी किया जाए उसका एक निश्चित उद्देश्य एवं महत्व होता हैं। उस उद्देश्य एवं महत्व के आधार पर अनुसंधान का औचित्य का निर्धारण होता हैं। अनुसंधान नये तथ्यों की खोज, नये ज्ञान की खोज तथा इससे पूर्व किए गए अनुसंधान कार्यों का समीक्षा के लिए किया जाता हैं। "पंचायती राज तथा महिलाओं की समाजिक स्थिति" का अध्ययन का भी एक निश्चित उद्देश्य एवं महत्व हैं। इस निश्चित उद्देश्य एवं महत्व के कारण इस अनुसंधान का एक निश्चित औचित्य हैं। वर्तमान समय में आरक्षण तथा महिलाओं की भागीदारी के कारण ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमानों में अनेक परिवर्तन आये हैं। जिसके कारण महिलाओं की समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा के स्तरों में बढ़ोतरी हुआ होगा। महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो पहाड़ी कोरवा महिलाओं की समाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पृष्टभूमि तथा पंचायती राज के अधिनियम संबंधी जागरूकता और उसमें महिलाओं की भागीदारी की स्थिति का अध्ययन परवर्ती अध्ययनकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस अध्ययन से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान पंचायती राज तथा महिलाओं की समाजिक स्थिति से संबन्धित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमो को लागू करने में बाधक -साधक करको का पता लगा कर कार्यक्रमो को अधिक यथार्थ रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकेगा। साथ ही यह व्यावहारिक ज्ञान प्रशासकों एवं योजना निर्माताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस अध्ययन की व्यावहारिक उपयोगिता विभिन्न समाज विज्ञान विषयों में शोधरत शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी होगा। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से उन्हे नये आयामों पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

अध्ययन के उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध "पंचायती राज महिलाओं की सामाजिक स्थिति" का अध्ययन एक समकालीन विषय है जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति को फोकस करता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला तथा ब्लाक कोरबा के पहाड़ी कोरवा महिलाओं की पंचायत में स्थिति और भूमिका का अध्ययन करने का विशेष उद्देश्य है जो इस प्रकार है –

- प्रथागत तथा आधुनिक पंचायत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
- प्रथागत तथा आधुनिक पंचायत में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।